हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट भिाक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और लागू होना ।
2. परिभाशाएं ।
3. आयोग की स्थापना ।
4. आयोग की संरचना ।
5. सदस्य का हटाया जाना ।
6. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी ।
7. बैठकें ।
8. निधि ।
9. आयोग की भाक्तियां और कृत्य ।
10. आयोग की प्रक्रिया और भाक्ति ।
11. भाास्तियां ।
12. आयोग के लेखे और संपरीक्षा ।
13. वार्शिक रिपोर्ट ।
14. क्षतिपूर्ति ।
15. सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना ।
16. निदे ा जारी करने की भाक्ति ।
17. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।
18. नियम बनाने की भाक्ति ।
19. विनियम बनाने की भाक्ति ।
20. विधान सभा में रखे जाने वाले नियम और विनियम ।
21. कठिनाइयां दूर करने की भाक्ति ।

....

2011 का अधिनियम संख्यांक 15

हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट भिाक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010

(राज्यपाल महोदया द्वारा तारीख 31 जनवरी, 2011 को यथा अनुमोदित)

प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं में प्रवे ा, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान का समुचित स्तरमान सुनि चत करने और छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु, राज्य स्तर पर विनियामक आयोग और विनियामक तंत्र की स्थापना करने तथा उससे संबन्धित या उसके आनुशंगिक विशयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्श में हिमाचल प्रदे ा विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः—

1. **संक्षिप्त नाम और लागू होना**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट ि ाक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 है ।

(2) यह हिमाचल प्रदे ा राज्य में प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं को लागू होगा ।

2. **परिभाशाएं**— इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ख) "सदस्य" से आयोग का सदस्य अभिप्रेत है और इसका अध्यक्ष इसके अन्तर्गत है ;

(ग) "प्राइवेट ि ाक्षा संस्था" से, किसी मान्यता प्राप्त स्कूल ि ाक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों (स्कूलों) के सिवाए, राज्य में समस्त प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाएं अर्थात् महाविद्यालय, ि ाक्षा के व्यावसायिक महाविद्यालय, तकनीकी ि ाक्षा के संस्थान, प्रबन्धन, विधि, इंजीनियरींग, चिकित्सा, फार्मेसी, सह–चिकित्सीय संस्थाएं और वि वविद्यालय, डीम्ड वि वविद्यालय, सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस या उच्चतर विद्या की कोई अन्य ि ाक्षा संस्थाएं अभिप्रेत हैं ;

(घ) "विनियम" से इस अधिनियम की धारा 19 के अधीन आयोग द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(ङ) "विनियामक निकाय" से इस प्रयोजन के लिए स्थापित कोई राज्य या केन्द्रीय कानूनी विनियामक निकाय अभिप्रेत है ;

(च) "छात्र" से किसी उपाधि, डिप्लोमा, प्रमाण–पत्र या अन्य विद्या संबंधी उपाधि के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने वाला प्राइवेट ि ाक्षा संस्था में प्रविश्ट व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "वि वविद्यालय अनुदान आयोग" से वि वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अधीन स्थापित वि वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदे ा सरकार अभिप्रेत है; और

(ञ) "उच्चतर ि ाक्षा" से दस जमा दो स्तर से ऊपर के ज्ञान के अध्ययन के लिए, पाठयचर्या या पाठयक्रम का अध्ययन अभिप्रेत है।

3. **आयोग की स्थापना**–(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाि ात अधिसूचना द्वारा, राज्य में विनियामक तंत्र उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए और प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं में प्रवे ा, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रमों का समुचित स्तरमान सुनिि चत करने के प्रयोजन तथा छात्रों के हितों के संरक्षण हेतु राज्य सरकार और केन्द्रीय विनियामक निकायों के मध्य एक अन्तरानीक बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए हिमाचल प्रदे ा प्राइवेट ि ाक्षा संस्था विनियामक आयोग की स्थापना कर सकेगी ।

(2) आयोग भाा वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा वाला एक निगमित निकाय होगा और वह उक्त नाम से वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(3) आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ।

4. आयोग की संरचना–(1) आयोग, अध्यक्ष तथा लोक जीवन या उच्चतर ि ाक्षा के क्षेत्र में विख्यात व्यक्तियों में से या उनमें से जो तीन वर्श की अवधि के लिए हिमाचल प्रदे ा सरकार में सचिव या इससे ऊपर रहे हों या जिन्होने भारत सरकार में तीन वर्श या इससे अधिक अवधि के लिए समतुल्य पद धारित किया हो, में से अधिकतम दो सदस्यों से गठित होगा ।

परन्तु अध्यक्ष और सदस्य वि ोशज्ञता के समरूप क्षेत्र में से नहीं होगा।

(2) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा स्थापित जांच समिति की सिफारि ाों पर तीन वर्श की अवधि के लिए या जब तक वह पैंसठ वर्श की आयु पूर्ण नहीं कर लेता/लेती, जो भी पूर्वतर हो, की जाएगी और ऐसा अध्यक्ष या ऐसे सदस्य, पैंसठ वर्श की ऊपरी आयु सीमा के अध्यधीन, दूसरी पदावधि के लिए पात्र हो

सकेंगे :

परंतु पदावधि की समाप्ति के पश्चात्, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य हिमाचल प्रदे ा में किसी भी प्राइवेट ि ाक्षा संस्था या हिमाचल प्रदे ा में या इसके बाहर उनके सहायक कार्यालयों या कंपनीयों में तीन वर्श की अवधि के लिए आगामी नियोजन या किसी कर्तव्यभार के लिए पात्र नहीं होगा ।

(3) जांच समिति निम्नलिखित से गठित होगी, अर्थात्:–

(i) मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदे ा सरकार ––– अध्यक्ष;

(ii) प्रधान सचिव (तकनीकी ि ाक्षा) हिमाचल प्रदे ा सरकार ––– सदस्य; और

(iii) प्रधान सचिव(उच्चतर ि ाक्षा) हिमाचल प्रदे ा सरकार ––– सदस्य सचिव ।

5. सदस्य का हटाया जाना–(1) किसी भी सदस्य को, इस धारा के उपबंधों के अनुसार के सिवाए, अपने पद से हटाया नहीं जाएगा ।

(2) राज्य सरकार, आदे ा द्वारा, किसी भी सदस्य को पद से हटा सकेगी, यदि –

(क) वह सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोश ठहराया गया हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित हो; या

(ग) वह भाारीरिक और मानसिक रूप से सदस्य के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो गया हो; या

(घ) उसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) उसने अपनी स्थिति का ऐसा दुरूपयोग किया है, जिससे उसके पद पर बने रहने से लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; या

(च) वह सिद्ध कदाचार का दोशी हो; या

(छ) वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहा हो:

परंतु किसी भी सदस्य को खण्ड (घ), (ङ), (च) या (छ) में विनिर्दिश्ट किसी आधार पर, अपने पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक इस प्रयोजन के लिए कोई जांच न की गई हो और सदस्य को अपनी प्रतिरक्षा का अवसर न दे दिया गया हो ।

6. आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी–(1) आयोग का एक सचिव होगा, जिसे राज्य सरकार द्वारा, आयोग के परामर्श से, ऐसे निबंधनों और भार्तों पर, जो विहित की जाएं, नियुक्त किया जाएगा ।

(2) आयोग, राज्य सरकार के अनुमोदन के पश्चात्, अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए ऐसे अधिकारी और कर्मचारी, जैसे यह आव यक समझे, नियुक्त कर सकेगा ।

(3) आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों के सेवा के निबंधन और भार्तें ऐसी होंगी, जैसी विहित की जाएं ।

7. बैठकें – आयोग, ऐसे समय और स्थान पर, उतनी बार, जितनी बार आव यक हो, बैठक करेगा तथा ऐसी

प्रक्रिया का पालन करेगा, जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाए ।

8. निधि– आयोग एक निधि की स्थापना करेगा, जिसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे, अर्थात्:–

(क) प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं द्वारा प्रति वर्श कुल फीस का, ऐसा प्रति ात, जो आयोग द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाए; परन्तु यह कुल फीस के एक प्रति ात से अधिक नहीं होगा;

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त ऋण, जो तीन वर्शों के भीतर प्रतिसंदेय होगा ;

(ग) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त अन्य कोई अनुदान; और

(घ) भाास्तियों के रूप में प्राप्त समस्त रकम ।

9. आयोग की भाक्तियां और कृत्य –(1)यह सुनि िचत करना आयोग का कर्त्तव्य होगा कि प्रवे ा, अध्यापन, परीक्षा, अनुसंधान, विस्तार कार्यक्रम, अर्हित ि ाक्षकों और अवसंरचना के स्तरमान सन्नियमों के अनुसार, प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं द्वारा केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार के विनियामक निकायों द्वारा या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दि ाानिर्दे ाों के अनुसार बनाए रखे जा रहे हैं । ि ाक्षा संस्था द्वारा अधिकथित स्तरमानों को पूरा करने में विफलता की द ाा में, आयोग को अधिनियम की धारा 11 के अधीन ि ाक्षा संस्थाओं पर भाास्ति अधिरोपित करने की भाक्ति होगी और संस्था द्वारा स्तरों को पूरा करने में क्रमवार विफलता की द ाा में आयोग, राज्य सरकार विनियामक निकाय को किसी संस्था को बंद करने की सिफारि ा कर सकेगा ।

(2) आयोग सुनि िचत करेगा कि प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं में प्रवे ा, राश्ट्रीय संयुक्त प्रवे ा परीक्षा या राज्य सरकार द्वारा यथा–अधिसूचित राज्य संयुक्त प्रवे ा परीक्षा में या किसी अन्य परीक्षा में प्राप्त योग्यता(मैरिट) पर आधारित है और जहां पर राश्ट्रीय स्तर की संयुक्त प्रवे ा परीक्षा या राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवे ा परीक्षा या कोई अन्य परीक्षा नहीं है, वहां योग्यता(मैरिट), सर्वथा अर्हता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(3) आयोग, छात्रों और माता–पिता की ि ाकायतों की प्राप्ति और उनके निवारण के लिए, समुचित क्रिया प्रणाली विकसित करेगा और प्राइवेट संस्थाओं को आयोग को, रिपोर्ट की गई ि ाकायतों के निवारण के लिए, एक समुचित ि ाकायत निवारण क्रिया प्रणाली स्थापित करने हेतु निदे ा कर सकेगा । ऐसी ि ाकायतों को, आयोग द्वारा नियत समय के भीतर, संस्था द्वारा ऐसी ि ाकायत के निवारण हेतु उठाए गए कदमों के विवरण सहित निवारण किया जाएगा ।

(4) आयोग जब कभी अपेक्षित हो, प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा और प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं के निरीक्षण के लिए वि ोशज्ञ समितियां गठित कर सकेगा ।

(5) आयोग को प्राइवेट ि ाक्षा संस्थाओं में फीस का अनुश्रवण और विनियमन करने की भाक्ति होगी ।

10. आयोग की प्रक्रिया और भाक्ति –(1) आयोग को, इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित विशयों की बाबत वहीं भाक्तियां होगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा उसकी भापथ पर परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज या साक्ष्य के रूप में पे ा किए जाने योग्य अन्य भौतिक पदार्थ का प्रकटीकरण और पे ा किया जाना;

(ग) भापथ–पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी लोक अभिलेख को मांगना;

(ङ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमी ान निकालना;

(च) अपने विनि चयों, निदे ाों और आदे ाों का पुनर्विलोकन करना; और

(छ) कोई अन्य विशय जो विहित किया जाए ।

(2) आयोग को किसी कार्यवाही, सुनवाई या विशय में ऐसा अंतरिम आदे ा पारित करने की भाक्तियां होगी जैसा आयोग समुचित समझे ।

(3) आयोग अपने समक्ष कार्यवाहियों में छात्रों तथा माता–पिता के हित में प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जैसा वह उचित समझे, प्राधिकृत कर सकेगा ।

(4) इस अधिनियम के अधीन समस्त विवाद, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदे ा 37 के उपबन्धों के अनुसार संक्षेपतः विनि चत किए जाएंगे ।

11. भाास्तियां–(1)आयोग, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी भी उपबन्ध या आयोग द्वारा जारी किए गए निदे ाों के उल्लंघन के लिए, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए भाास्ति अधिरोपित कर सकेगा जो एक करोड़ रूपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु द्वितीय या प चात्वर्ती उल्लंघन के लिए अधिकतम भाास्ति, पांच करोड़ रूपए होगी :

परन्तु तब तक कोई भाास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक सम्बद्ध संस्था को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं कर दिया गया हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित भाास्ति, सम्बद्ध ि ाक्षा संस्था से विन्यास निधि या किसी अन्य विधि से या भू–राजस्व के बकाया के रूप में वसूलीय होगी ।

12. आयोग के लेखे और संपरीक्षा –(1)आयोग अपने लेखों को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में रखेगा, जैसी विहित की जाए ।

(2) आयोग के लेखों की, भारत के नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा वार्शिक संपरीक्षा करवाई जाएगी और आयोग, संपरीक्षा रिपार्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगा ।

13. वार्शिक रिपोर्ट –(1) आयोग, यथा ाीघ्र, प्रत्येक वित्तीय वर्श की समाप्ति के प चात्, पूर्ववर्ती वर्श के दौरान उसके क्रियाकलापों का विवरण द ाति एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे ऐसी तारीख को और ऐसे प्ररूप में, राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जैसी विहित की जाए और राज्य सरकार ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट को इसकी प्राप्ति के प चात् यथा ाीघ्र विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

(2) आयोग प्रत्येक वर्श राज्य सरकार को आयोग के संपरीक्षित वार्शिक लेखों की एक प्रति भेजेगा और राज्य सरकार ऐसे लेखों को विधान सभा के समक्ष रखवाएगी ।

14. क्षतिपूर्ति– इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आ ायित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां आयोग के अध्यक्ष, किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध न होंगी ।

15. सदस्यों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना– आयोग के सदस्य और अन्य कर्मचारी, भारतीय दण्ड

संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझें जाएंगे ।

16.निर्दे ा जारी करने की भाक्ति– राज्य सरकार, आयोग को ऐसे निदे ा जारी कर सकेगी, जो इसकी राय में इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आव यक या समीचीन हों और आयोग ऐसे समस्त निदे ाों को कार्यान्वित करेगा।

17. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना– इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या आदे ा के उपबन्धों का, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विश्ट किसी बात के उससे असंगत होते हुए भी, प्रभाव होगा ।

18. नियम बनाने की भाक्ति –(1) राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाि ात अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) पूर्वगामी भाक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विशयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और सचिव की सेवा के निबन्धन और भार्तें;

(ख) आयोग के आदे ाों और विनि चयों तथा इसके द्वारा जारी लिखतों के अधिप्रमाणन की रीति ;

(ग) प्ररूप और रीति जिसमें धारा 12 के अधीन आयोग द्वारा लेखों का अनुरक्षण किया जाएगा;

(घ) धारा 11 के अधीन भाास्ति की न्यूनतम और अधिकतम सीमा तथा रीति, जिसमें ऐसी भाास्ति अधिरोपित की जानी है; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो आयोग के उचित कार्यकरण के लिए अपेक्षित हों।

19. विनियम बनाने की भाक्ति– आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए विनियम बना सकेगी ।

20. विधान सभा में रखे जाने वाले नियम और विनियम – इस अधिनियम की धारा 18 और 19 के अधीन बनाए गए प्रत्येक नियम और विनियम, इनके बनाए जाने के प चात् यथा ीघ्र विधान सभा के समक्ष रखे जाएंगे ।

21. कठिनाइयाँ दूर करने की भाक्ति– यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, राजपत्र, हिमाचल प्रदे ा में प्रकाि ात आदे ा द्वारा ऐसे उपबन्ध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और जो ऐसी कठिनाई दूर करने के प्रयोजन हेतु इसे आव यक प्रतीत हो:

परन्तु ऐसा कोई आदे ा इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्श की समाप्ति के प चात् नहीं किया जाएगा ।

....

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) ACT, 2010

ARRANGEMENT OF SECTIONS

Sections:

1. Short title and application.

2. Definitions.
3. Establishment of Commission.
4. Composition of Commission.
5. Removal of member.
6. Officers and other employees of the Commission.
7. Meetings.
8. Fund.
9. Powers and functions of the Commission.
10. Procedure and Power of the Commission.
11. Penalties.
12. Accounts and audit of the Commission.
13. Annual report.
14. Indemnity.
15. Members and employees to be public servants.
16. Power to issue directions.
17. Act to have overriding effect.
18. Power to make rules.
19. Power to make regulations.
20. Rules and regulations to be laid in the Legislative Assembly.
21. Power to remove difficulties.

ACT No. 15 of 2011

THE HIMACHAL PRADESH PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTIONS (REGULATORY COMMISSION) ACT, 2010

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 31ST JANUARY, 2011)

AN

ACT

to provide for establishment of the Regulatory Commission and Regulatory mechanism in the State for the purpose of ensuring appropriate standard of admission, teaching, examination, research and protection of interest of students in the Private Educational Institutions and for matters connected therewith or incidental thereto;

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title and application.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Private Educational Institutions (Regulatory Commission) Act, 2010.

(2) It shall apply to the Private Educational Institutions in the State of Himachal Pradesh.

2. Definitions. — In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "Commission" means the Regulatory Commission established under section 3 of this Act;

(b) "member" means a member of the Commission and includes the Chairperson;

(c) "Private Educational Institutions" means all the private educational institutions in the State viz. degree colleges, professional colleges of Education, Institutes of Technical Education, Management, Law, Engineering, Medicine, Pharmacy, Paramedical Institutions and Universities, deemed Universities, Centres of Excellence, or any other educational institutions of higher learning, except schools affiliated to any recognized Board of School Education;

(d) "regulations" means regulations made by the Commission under section 19 of this Act;

(e) "Regulatory body" means any State or Central Statutory Regulatory Body set up for the purpose;

(f) "student" means a person enrolled in the Private Educational Institution for pursuing a course of study for the award of a degree, diploma, certificate or other academic distinction;

(g) "University Grants Commission" means the University Grant Commission established under the University Grants Commission Act, 1956;

(h) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(i) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh; and

(j) "Higher Education" means study of a curriculum or course for the pursuit of knowledge beyond 10+2 level.

3. Establishment of Commission. —(1) The State Government may, by notification published in the Official Gazette, establish the Himachal Pradesh Private Educational Institutions Regulatory Commission for the purpose of providing a regulatory mechanism in the State and for working as an interface between the State Government and the Central Regulatory Bodies for the purpose of ensuring appropriate standards of admission, teaching, examination, research, extension programmes and protection of the interest of the students of the Private Educational Institutions.

(2) The Commission shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by the said name.

(3) The headquarters of the Commission shall be at such place as may be notified by the State Government.

4. Composition of Commission. — (1) The Commission shall consist of a Chairperson and maximum of two members from amongst persons of eminence in public life or in the field of higher education or who have remained Secretary or above to the Government of Himachal Pradesh or held equivalent post in the Government of India for a period of three years or more.

Provided that the Chairperson and the members shall not be from the same field of specialization.

(2) The Chairperson and members of the Commission shall be appointed by the State Government, on the recommendations of a Search Committee, for a period of three years or until he or she

attains the age of 65 years, whichever is earlier, and such Chairperson or members may be eligible for a second term subject to the upper age limit of 65 years:

Provided that after the expiry of the term of office, the Chairperson or the member, as the case may be, shall be ineligible for further employment or any assignment in any of the Private Educational Institutions within Himachal Pradesh or their associate offices or companies within or outside Himachal Pradesh for a period of three years.

(3) The search Committee shall consist of the following, namely:-

(i) Chief Secretary to the Government of Himachal Pradesh.	-- Chairperson;
(ii) Principal Secretary (Technical Education) to the Government of Himachal Pradesh.	-- Member;
(iii) Principal Secretary (Higher Education) to the Government of Himachal Pradesh.	--Member-Secretary.

5. Removal of member. — (1) No member shall be removed from office except in accordance with the provisions of this section.

(2) the State Government may by order remove from office any member, if he-

(a) has been adjudged an insolvent by the competent court; or

(b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the State Government, involves moral turpitude; or

(c) has become physically or mentally incapable of acting as a member; or

(d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functions as a member ; or

(e) has so abused his position as to render his continuance in office prejudicial to the public interest; or

(f) has been guilty of proven misbehavior; or

(g) has failed to discharge his duties:

Provided that no member shall be removed from his office on any ground specified in clauses (d), (e), (f) or (g) unless an enquiry has been conducted for this purpose and the member has been given an opportunity to defend himself.

6. Officers and other employees of the Commission. — (1) There shall be a Secretary of the Commission who shall be appointed by the State Government in consultation with the Commission on such terms and conditions, as may be prescribed.

(2) The Commission may appoint such officers and employees as it considers necessary, for the efficient performance of the functions of the Commission, after approval of the State Government.

(3) The terms and conditions of service of the officers and employees of the Commission shall be such as may be prescribed.

7. Meetings. — The Commission shall meet, as often as may be necessary, at such time and place and observe such procedure, as may be prescribed in the regulations.

8. Fund. — The Commission shall establish a fund to which shall be credited-

(a) by the Private Educational Institutions such percentage of total fees every year as may be assessed by the Commission from time to time but not exceeding one percent of the total fees;

(b) loan from the State Government which will be repayable within three years;

(c) any other grants received from any other source; and

(d) all sums received by way of penalties.

9. Powers and functions of the Commission. — (1) It shall be the duty of the Commission to ensure that standards of admission, teaching, examination, research, extension programme, qualified teachers and infrastructure, are being maintained by the Private Educational Institutions in accordance with the guidelines issued by the Regulatory Bodies of the Central Government or the State Government or by the Central Government or the State Government from time to time. In case of failure of the Educational Institution to meet the standards laid down, the Commission shall have the power to penalize the Educational Institutions under section 11 of the Act and in case of successive failure of an Institution to meet the standards, the Commission may recommend to the State Government/ Regulatory Body for the winding up of the Institution.

(2) The Commission shall ensure that the admissions in the Private Educational Institutions are based on merit achieved in National Common Entrance Test or the State Common Entrance test or any other test as notified by the State Government and where there is no National Level Common Entrance Test, or State Level Common Entrance Test or any other test, the merit shall be determined strictly on the basis of the marks obtained in the qualifying examination.

(3) The Commission shall develop an appropriate mechanism for receipt and redressal of grievances of students and parents, and direct the private institution to set-up a proper Grievances Redressal mechanism for redressal of complaints reported to the Commission. Such complaints shall be addressed within the time fixed by the Commission with details of the steps taken by the institution to redress such complaint.

(4) The Commission may conduct inspections of Private Educational Institutions as and when required and may form expert committees, for inspections of Private Educational Institutions.

(5) The Commission shall have the power to monitor and regulate fees in Private Educational Institutions.

10. Procedure and Powers of the Commission. — (1) The Commission shall, for the purposes of any inquiry or proceedings under this Act, have the same powers as are vested in a civil court under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) discovery and production of any document or other material object producible as evidence;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning of any public record;

(e) issuing commission for the examination of witnesses;

(f) reviewing its decisions, directions and orders;

(g) any other matter which may be prescribed.

(2) The Commission shall have the powers to pass such interim order in any proceeding, hearing or matter as the Commission may consider appropriate.

(3) The Commission may authorize any person, as it deems fit, to represent the interest of the students and parents in the proceedings before it.

(4) All disputes under this Act shall be decided summarily in accordance with the provisions of Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908.

11. Penalties. — (1) The Commission may, for the contravention of any of the provision of this Act or the rules or regulations made there under, or directions issued by the Commission, impose penalty, in such manner as may be prescribed, but not exceeding one crore rupees:

Provided that the maximum penalty for a second or subsequent contravention shall be five crore rupees;

Provided further that no penalty shall be imposed unless the institution concerned is given an opportunity of being heard.

(2) The penalty imposed under sub-section (1) shall be recoverable from the endowment fund or any other Fund or as arrear of land revenue from the Educational Institution concerned.

12. Accounts and Audit of the Commission. — (1) The Commission shall maintain its accounts in such form and in such manner as may be prescribed.

(2)The accounts of the Commission shall be audited annually by the Comptroller and Auditor General of India and the Commission shall send a copy of the audit report to the State Government.

13. Annual report. — (1) The Commission shall, as soon as, may be, after the end of each financial year, prepare and submit to the State Government, before such date and in such form as may be prescribed, a report giving an account of its activities during the previous year and the State Government, shall cause every such report to be laid before the Legislative Assembly as soon as may be, after its receipt.

(2) The Commission shall send a copy of the audited annual accounts of the Commission to the State Government every year, and the State Government shall cause such accounts to be laid before the Legislative Assembly.

14. Indemnity. — No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against Chairperson, any member, officer or employee of the Commission in respect of anything which is, in good faith, done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

15. Members and employees to be public servants. — The Members and other employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 (45 of 1860) of the Indian Penal Code.

16. Power to issue directions. — The State Government may issue such directions to the Commission as in its opinion, are necessary or expedient for carrying out the purposes of this Act and the Commission shall give effect to all such directions.

17. Act to have overriding effect. — The Provisions of this Act or rule or order made there under, shall have effect, notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force.

18. Power to make rules. — (1) The State Government may, by notification publish in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the terms and conditions of service of the Chairperson, the members and the Secretary of the Commission.

(b) mode of authentication of the orders and decisions of the Commission and instruments issued by it.

(c) the form and manner in which the accounts shall be maintained by the Commission under section 12;

(d) the minimum and maximum limit of the penalty under section 11 and the manner in which such penalty is to be imposed; and

(e) such other matters as may be required for proper functioning of the Commission.

19. Power to make regulations. —The Commission may, with the prior approval of the State Government, make regulations to carry out the provisions of this Act.

20. Rules and regulations to be laid in Legislative Assembly. — Every rule and regulation made under sections 18 and 19 of this Act shall respectively be laid, as soon as may be after these are made, before the Legislative Assembly.

21. Powers to remove difficulties. — If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for the purpose of removing the difficulty:

Provided that no such order shall be made after the expiry of two years from the commencement of this Act.